

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
----------	---------------------------	--

21/01/22

पत्रावली में कार्य नहीं की।
19/5/22

19/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी न्यायालय में कार्यवाही की। पालना आवश्यक रूप से कर आग्रह किया अतः वापस किया कर दिया जावेगा पत्रावली दिनांक 9/6/22 को पेश की

31/5-
उपस्थित न होने पर
वकील (लिखा)

9/6/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. तौर/अन्य कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही नहीं की जायेगी। पत्रावली दिनांक 28/07/22 को पेश की।

28/7/22


पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। इसके मद्द पर पुछ होता है की वादी एवं वकील वादी वाद पत्र को भण्डार करने के तहत बंधुक्त नहीं है। लिखा वादी का वाद पत्र भण्डार पेशी भण्डार हाजरी में खारीज किया जाता है।

पत्रावली फिलहाल शुभार होकर फर्क नम्बर से काम होने पर हाजिल

फर्द अहकाम

~~अशुभार्थ~~ बनाम गोपाल राय 188
R.T. Act

या /वर्ष : _____ /20 _____

संक आजा कार्यवाही	आजा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>दफ्तर ही। मिर्जा साह फिनोक १४/०३/२०२२ को सुते न्यायालय से लेई इजलास जुनाया गया।</p> <p> उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)</p>	